

कम्प्यूटर पाठ्यक्रम प्रशिक्षण योजना

पात्रता:- मंडल की परिधि में आने वाली औद्योगिक संस्थानों/स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों के शिक्षारत बच्चों को प्रदेश के सभी जिलों जिनमें माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अथवा अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है उन केन्द्रों में पी.जी.डी.सी.ए. एवं डी.सी.ए. पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाले श्रमिकों के बच्चों को आवेदन करने पर योजना का लाभ प्रदाय किया जाता है।

आवश्यक दस्तावेज (छायाप्रतियां)

- आवेदन पत्र
- संस्थान/स्थापना तथा शैक्षणिक संस्थान का प्रमाणीकरण।
- कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के कुल व्यय का स्टीमेट
- बैंक पास बुक, प्रथम पृष्ठ
- नवीनतम फोटोग्राफ
- छात्र/छात्रा का आधार पत्र

स्वीकृतकर्ता अधिकारी - कल्याण आयुक्त

पुरस्कार राशि :- वर्तमान सहायता राशि प्रतिवर्ष (एकमुश्त)कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के कुल व्यय का 50 प्रतिशत या रूपये 8000 जो भी कम हो पात्र अभ्यर्थी को भुगतान किया जायेगा।